



उत्तरांचल UTTARANCHAL

15

01AA 948603

प्रमाण पत्र

स्टाम्प अधिनियम की धारा 10-क के अधीन दिये गये कलेक्टर के आदेश दिनांक 07.10.2005 के अनुसरण में यह प्रमाणित किया जाता है कि इस लिखत के संबंध में रुपया 9,56,600.00 (शब्दों में) रुपया नौ लाख छप्पन हजार छः सौ मात्र की धनराशि का चालान संख्या 39 दिनांक 26.05.2006 को ए.टी.पी. सिलवी प्रोजेक्ट लि0 सिडकुल पन्तनगर जनपद- उधम सिंह नगर के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक रुद्रपुर में नकद संदाय किया गया है, जिसकी एक प्रति यहाँ संलग्न है।

दिनांक :- 27.5.06


वरिष्ठ कोषाधिकारी
उधम सिंह नगर
उधम सिंह नगर

954... 10/12/2006 10/12/2006 10/12/2006

हिलारी प्रोजेक्ट सी०

प्रमाणित
प्रमाणित
प्रमाणित

सिद्धल पालिका

(होमिनी)



प्रमाणित 307 फेब्रु 117
यथा नमस्ते जिल्ला प्रशासन कार्यालय
यथा नमस्ते 2553 पर मात
दिनांक 25/12/2006 को रजिस्ट्री कां गरी।

हय निवेदन
हय निवेदन
हय निवेदन



उत्तरांचल UTTARANCHAL

479059



विषय-पत्र (कृषिक)

बैनामा-27,00,000/-रूपया कीमत-95,66,000/-रूपया

स्टाम्प-7,65,280/-रूपया आ0 वि0 शुल्क-1,91,320/-रूपया

कुल स्टाम्प शुल्क-9,56,600/-रूपया विक्रय क्षेत्र-0.9110 है0.

खता नं-104 खेा नं-249 रकबा-0.9110 है0 स्थित ग्राम-फुलसुंगा तहसील-किच्छा

जिला-उधम सिंह नगर। आवास विकास सीमा अन्तर्गत-

हम कि विजय शंकर शर्मा उम्र बालिग पुत्र श्री नन्द बिहारी शर्मा निवासी-ग्राम-फुलसुंगा तहसील-किच्छा, जिला-उधम सिंह नगर हाल निवासी-एन0/6/62 डी0-4 बिनायका बड़ी गेबी पो0-महमूरगंज निकट कमच्छा पावर हाऊस जिला-वाराणसी विक्रेता प्रथम पक्ष है। व-मै0 ए0 टी0 पी0 सिल्वी प्रोडैक्ट लि0 प्लॉट नं-07 सैक्टर-9 आई0 आई0 ई0 पंतनगर जिला-उधम सिंह नगर द्वारा डायरेक्टर श्री ए0 अन्नथा आचार पुत्र श्री नारायण आचार निवासी-179 एम0 आई0 जी0 आवास विकास कालौनी रूद्रपुर तहसील-किच्छा, जिला-उधम सिंह नगर क्रेता द्वितीय पक्ष है।

V. K. Sharma

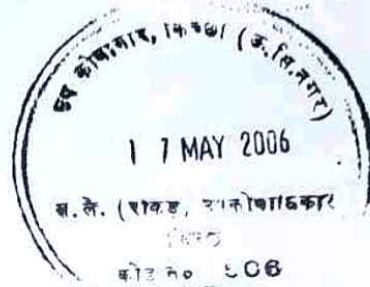
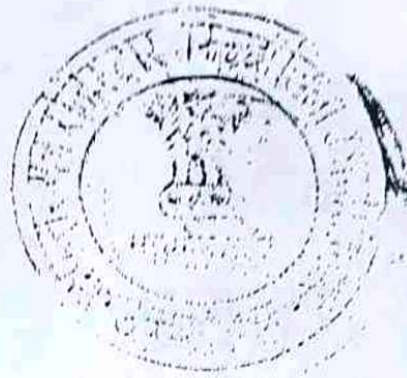
A. K. Sharma

4

क्रमांक 346 दिनांक 29-5-06 कीमत 50/-
नाम राव बहादुर 845 करे
पता
वास्ते

विदेन्द्र लाल चौहान
स्टाम्प विक्रेता किच्छा (ऊ० सि० नगर)
लाइसेन्स न० 09 2002 बेधता 3103 2007

V. 678-000



Signature





उत्तरांचल UTTARANCHAL

479056

-: 3 :-

कब्जा विक्रय भूमि का द्वितीय पक्ष को सौंप दिया है। आज की तारीख से प्रथम पक्ष का कोई भी वास्ता सरोकार विक्रय आराजी से नहीं रहा है विक्रय आराजी का दा0-खा0 द्वितीय पक्ष केता अपने नाम करा ले कर दिया जाये। मुझ प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है न आइन्दा भविष्य में होगी। मुझ प्रथम पक्ष ने केता द्वितीय पक्ष को विश्वास दिलाया है कि आराजी हर प्रकार से पाक व साफ है यदि कोई भी जोखिम निकली या कोई वाद-विवाद सरकारी व गैर सरकारी लेन-देन कर्जा या भार साबित हुआ तो उसकी कुल जिम्मेदारी मय हर्जा व खर्चा एवं मय वापसी जरै समन मुनाफे के व जिम्मे मुझ प्रथम पक्ष व कायम मुकामान प्रथम पक्ष पर आयद होगी। विक्रय भूमि कृषि भूमि है जो आवासीय व वर्कमैन कालौनी एवं राँ मैटिरयल स्टोर बनाने हेतु कय की जा रही है। व अर्द्ध नगरीय क्षेत्र में स्थित है जिसका कलेक्टर द्वारा नियत मूल्य 6,76,000रूपया प्रति हैक्टेयर है। विक्रय आराजी मे कोई पेड़-पौधा व निर्माण नहीं है। जो ग्राम-फुलसुगी तहसील-किच्छा जिला-उधम सिंह नगर की है। तथा रुद्रपुर-किच्छा मुख्य मार्ग से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एवं निकटतम बस स्टेशन से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केता व विक्रेता अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्ति नहीं है।

V. S. Sharma

[Signature]

रजनांक 20-5-86 को 50/

विरेन्द्र लाल चौहान
स्टाम्प विक्रेता, किछा (ऊ० सि० नगर)
लाइसेन्स नं० ०१ १००२ ग्रेडता ३१०३२००५



1. संस्कृत में ललितकविता का विकास - 152
 2. संस्कृत में ललितकविता का विकास - 152
 3. संस्कृत में ललितकविता का विकास - 152

29/5/68



उत्तरांचल UTTARANCHAL

479057

-: 4 :-

यह कि द्वितीय पक्ष ने उक्त भूमि को क्रय करने की अनुमति प्रमुख सचिव महोदय उत्तरांचल शासन देहरादून के पत्रांक सं०-49 भू० क्रय/18 (1)/2006 देहरादून दिनांक-12 मई 2006 एवं कार्यालय जिलाधिकारी उधम सिंह नगर के संख्या-888/सात-स० भू० आ०/2006 दिनांक-20 मई 2006 के द्वारा प्राप्त कर ली है। यह कि क्रेता प्रथम पक्ष ए०टी०पी० सिल्वी प्रोजेक्ट लि० का इन्कम टैक्स पेन नं०-AAFCA 3135N है। एवं विक्रेता द्वितीय पक्ष श्री विजय शंकर शर्मा का इन्कम टैक्स पेन नं०-AEAPS 3126B है। हम दोनों पक्षों ने उत्तरांचल अधिनियम-29 वर्ष-2003 का उलंघन नहीं किया है अगर किसी स्तर पर इस अधिनियम का उलंघन पाया जाता है तो इसके सम्पूर्ण जिम्मेदार हम क्रेता व विक्रेता होंगे। यह कि द्वितीय पक्ष क्रेता को उत्तरांचल अधिनियम 29 वर्ष-2003 के अनुसार इस भूमि को क्रय करने का अधिकार प्राप्त है

V. Sharma

[Signature]

Handwritten: 348 विनांक 29.5.06 50/

नाम: विनांक 29.5.06 के हैं।

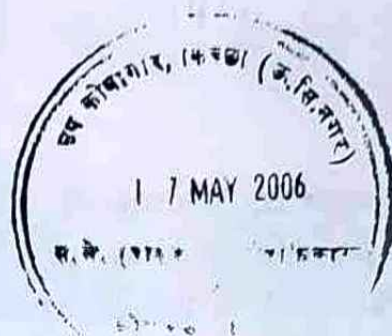
पता: विनांक 29.5.06 के हैं।

वस्तु: विनांक 29.5.06 के हैं।

विशेष लाल चिह्न

स्टाम्प विनांक 29.5.06 के हैं।

लाइसेन्स नं 09 2002 विनांक 31.03.200





उत्तरांचल UTTARANCHAL

479058

-: 5 :-

विक्रय भूमि की सीमा इस प्रकार है- पूरब में श्री प्रकाश शर्मा की भूमि, पश्चिम में रास्ता चकरोड कच्चा बाद नाली, उत्तर में नाली बाद चकरोड रास्ता, दक्षिण में चकरोड व नाली है। लिहाजा यह आलेख पत्र बैनामा रूबरू गवाहान के लिखा दिया कि सनद् रहे फक्त तारीख-29-05-2006ई0

(Signature)

(प्रथम पक्ष)

(Signature)

(द्वितीय पक्ष)

ड्राफ्ट बाई- रूप नारायण शर्मा दस्तावेज लेखक किच्छा।

(Signature)

कम्प्यूटराइज्ड- वीरेन्द्र लाल चौहान किच्छा उधम सिंह नगर।

ह0 गवाहान-

1. श्री अशोक कुमार मुन्ना पुत्र श्री माणिक लाल मुन्ना
निवासी-ए0 179 आवास विकास रुद्रपुर (उधम सिंह नगर)

(Signature)

(Signature)

श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 श्री गया सिंह,
नि0-16/1 डी01डी02 सिविल लाईन रुद्रपुर (उधम सिंह नगर)

रूप नारायण शर्मा

दस्तावेज लेखक
सब रजिस्ट्रार कार्यालय
किच्छा (उधम सिंह नगर)
ला० न० 5

नवीनीकरण - *(Signature)*
29/5/16

पत्र सं. 349 दिनांक 29.5.06
नाम: श्री ०००-३५५ कटे
पता: ...
वासी: ...


विरेंद्र लाल चौहान
स्टाम्प विकला किच्छा (ऊ० सि० नगर)
लाइसेन्स सं० ०९ २००२ वेधता ३१०३.२०० रु

११ मार्च २००६
स.ले. (रा.इ. व.का.बा.व.का.रा.)
किच्छा
बोर्ड नं० १६८६

